

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

1980 - पुरुषों के लिए छल्ले, कड़े पहनने का हुक्म

प्रश्न

क्या पुरुषों के लिए छल्ले, कड़े या कंगन या कान की बालियाँ (झुमके) पहनना जायज़ है ? क्योंकि कुछ लोगों ने इसके जायज़ होने की बात कही है ; इसलिए कि कुरैश जाहिलियत (अज्ञानता) के समय काल में ऐसा किया करते थे।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

छल्ले, कान की बालियाँ और कंगन पहनना महिलाओं के आभूषण में से हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने महिलाओं की छवि अपनाने वाले पुरुषों और पुरुषों की छवि अपनाने वाली महिलाओं पर लानत (धक्कार) की है।" इसे बुखारी (हदीस संख्या : 5435) ने रिवायत किया है।

तथा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, उस आदमी पर जो महिला की पोशाक पहनता है और उस महिला पर जो मर्द की पोशाक पहनती है, लानत भेजी है।" इसे अबू दाऊद ने अपनी सुनन में किताबुल्लिबास के अंदर लिबासुन्निसा (औरतों के पोशाक) के अध्याय में रिवायत किया है।

इस आधार पर, मर्द के लिए अपने कानों में बालियाँ पहनना, तथा अपने कानों या नाक में छल्ले पहनना जायज़ नहीं है। तथा इसे जायज़ करार देने वालों का इस बात से दलील पकड़ना कि कुरैश गोत्र के लोग ऐसा किया करते थे, तो सबसे पहले इसके लिए दलील साबित करने की ज़रूरत है, तो वह दलील कहाँ है ?

दूसरी बात : यदि वे लोग जाहिलियत के समय काल में ऐसा किया करते थे और इस्लाम ने आकर मर्द को औरत का

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

आभूषण पहनने और उसकी छवि अपनाने से रोक दिया, जैसाकि पिछली हदीसों में बीत चुका है, तो जो कुछ शरीयत लेकर आई है उसका एतिबार होगा, कुरैश या उनके अलावा किसी अन्य के अमल का कोई एतिबार नहीं है।"

तीसरी बात :

महिला का आभूषण जो कुरैश वगैरह के यहाँ परिचित था, वह दोनों कानों की बालियों, दोनों हाथों में कंगन, पिंडलियों में पायल और बाजू में बाजूबंद को सम्मिलित है, कहने का मतलब यह कि इन चीज़ों का महिला के आभूषण से होना प्राचीन समय से ही परिचित और ज्ञात है।

चौथा : इस्लामी शरीअत ने श्रृंगार के मुद्दे में पुरुषों के लिए चाँदी की अँगूठी पहनना वैध ठहराकर उन्हें बेनियाज़ कर दिया है, जैसाकि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चाँदी की अँगूठी तैयार करवाई, तो लोगों ने भी चाँदी की अँगूठियाँ बनवाई।" इसे बुखारी (हदीस संख्या : 5417) ने रिवायत किया है। तथा शरीअत ने ज़रूरत के समय पुरुषों के लिए दाँतों और नाक आदि के बदले (विकल्प) में सोने और चाँदी के प्रयोग की रूखसत दी है।

पाँचवी बात : हम कहते हैं कि मुसलमानों में से जो व्यक्ति छल्ले, कड़े पहनता है वह इस बारे में काफ़िरों की छवि अपनाता है, क्योंकि आजकल यह चीज़ उनके यहाँ परिचित है, यह उनका फैशन बन चुका है कि वे कानों, नाक, होंठ, गाल, चेहरे और इनके अलावा शरीर के अन्य भागों में पहनते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जिसने किसी जाति की छवि अपनाई वह उन्हीं में से है।" अबू दाऊद ने इसे अपनी किताब सुनन में किताबुल लिबास, बाब फी लिबासिश शोहरा में रिवायत किया है।

अतः ऐसा करने वाले को चाहिए कि अल्लाह के समक्ष तौबा करे, और बातिल के द्वारा कट हुज्जती न करे, और अपने व्यक्तित्व और पोशाक के द्वारा काफ़िरों से उत्कृष्ट रहे, जैसाकि हमारी शरीयत ने हमें इसका आदेश दिया है। और अल्लाह तआला ही सीधे पथ की ओर मार्गदर्शन करनेवाला है।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर